भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : **745**
दिनांक 21 नवम्बर , 2019 / 30 कार्तिक, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

एयरलाइनों द्वारा दिए जाने वाले कर

745. **श्री ए° राजा:**
डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देशभर में सेवाओं के लिए एयरलाइनों द्वारा दिए जाने वाले करों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन पर एकाधिक कर लगाए जाते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने वित्त मंत्रालय से इन एकाधिक करों को हटाने हेतु अनुरोध किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं; और

(घ) इन एकाधिक करों को कब तक हटाए जाने की संभावना है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) तथा (ख): एयरलाइनों को देश में, अन्य के साथ साथ, निम्नलिखित सेवाओं के लिए करों का भुगंतान करना होता है:-

(i) वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान यात्री टिकट, विमान कार्गो, खान-पान एवं अन्य आनुषंगिक सेवाओं जैसी आउटपुट सेवाओं तथा दिक्कचालन, लैंडिंग, पार्किंग तथा अनुरक्षण, मरम्मत एवं ओवरहॉल सेवाओं के लिए करना होता है;

(ii) वस्तु एवं सेवा कर के दायरे से बाहर विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) के अलावा देश में अधिप्राप्त किए जाने वाले शुल्क योग्य सामान पर। एयरलाइनों द्वारा एटीएफ पर अनेक कर चुकता किए जाते हैं, जिनमें ईंधन आपूर्ति विशेष सेवाओं से संबंधित वस्तु एवं सेवा कर के अलावा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा वीएटी / बिक्री कर शामिल है। एटीएफ के आयात पर भी अन्य माल के आयात की तरह ही सीमा शुल्क प्रभारित किया जाता है;

(iii) एयरलाइनों को अपने लाभ पर प्रत्यक्ष करों का भुगतान करना होता है।

(ग) तथा (घ): विमानन टर्बाइन ईंधन पर प्रभारित किए जाने वाले अनेक करों के प्रभाव को कम करने के लिए वित्त मंत्रालय से (i) विमानन टर्बाइन ईंधन को वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में लाने, तथा (ii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भार को कम करने का अनुरोध किया गया है। इसी के साथ साथ राज्य सरकारों को हवाईअड्डों पर राज्य-वार लागू मूल्य संवर्धित कर / बिक्री में कमी लाए जाने का अनुरोध किया गया है तथा कुछ राज्यों द्वारा कुछ निर्दिष्ट हवाईअड्डों पर दरों में कटौति की गई है।

*****